

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/03/2018

प्रवेश तिथि

09-01-2018

निर्णय दिनांक

28-06-2018

01- दीनद्वार पुत्र कुन्दन मेव निवासी रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

—: अपीलान्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर।

—: रिसपोडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़

दिनांक 09.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू

राजस्य अधिनियम प्रकरण संख्या 369/2017

उपस्थित:-

01-श्री सलीम खां

—वकील अपीलान्ट

—निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 09.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रघुनाथगढ़ की सरकारी गैर मुमकिन बेहड भूमि आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 140.23 है० में से 0.70 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रिसपोडेंट को जर्ज समन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथगढ़ की सरकारी गैर मुमकिन बेहड भूमि आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 140.23 है० में से 0.70 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलान्ट को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 09.01.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपीलान्ट मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र दिनांक 13.12.2017 में कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का रघुनाथगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 06.06.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट प्रांशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तक नील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28-06-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



579

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)